



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 2018/चैत्र 15, 1940

No. 123]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 2018/CHAITRA 15, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018

भारत सरकार की राजकोषीय हुंडियों/नकद प्रबंधन बिल की नीलामी द्वारा बिक्री की साधारण अधिसूचना में संशोधन – अधिसूचना सं. का.आ. 102 (अ)

सं. फा. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय में भारत सरकार की राजकोषीय हुंडियों/ नकद प्रबंधन बिल की नीलामी द्वारा बिक्री के संबंध में दिनांक 27 मार्च, 2018 की अपनी अधिसूचना सं.एफ 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः—

- (i) पैरा 4 (ii) शब्द “वनेशेकोनम बैंक (केवल 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां)” को हटा दिया जाएगा।
- (ii) पैरा 5 (iii) में, पैरा के आरंभ में निम्नलिखित वाक्य अंतःस्थापित किया जाए। “चार दशमलव स्थानों तक दर्शाए मूल्य का आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।”

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2018

Amendment to General Notification of sale of Government of India Treasury Bills/Cash Management Bill by Auction - Notification No S.O 102 (E)

No. F. 4(2)-W&M/2018.—The Government of India hereby makes the following amendments to its Notification in the Ministry of Finance No. F-4(2)-W&M/2018 dated the 27th March, 2018 relating to the Scheme for sale of Government of India Treasury Bills / Cash Management Bill by Auction namely:—

In the said Notification,

- (a) in Para 4 (ii), words '*Vneshconom Bank (only in 91 Day T-Bills)*' shall be deleted.
- (b) in para 5 (iii), insert the following sentence in the beginning '*The price, expressed up to four decimal places, should be clearly stated in the application*'.

By Order of the President of India,
PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.